



## उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

लेखराज मार्केट-2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उ0प्र0)

टेलीफोन: 91-522-2324000/01, फैक्स: 91-522-2344002, टोल फ्री: 18001805412

ई-मेल: upbocboardlko@gmail.com

### अधिसूचना

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित "महात्मा गांधी पेंशन योजना" में बोर्ड की आकस्मिक बैठक दिनांक 23.10.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शासन के पत्र संख्या-02/2019/1928/36-2-2018-91/2011 दिनांक 18.01.2019 द्वारा दी गई अनापत्ति के अनुक्रम में योजना के प्रस्तर-03 में निम्नवत संशोधन किये जाते हैं :—

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
1	2	3
प्रस्तर-03 पेंशन की पात्रता	03. 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय पूर्ववर्ती कम से कम 03 (तीन) वर्ष तक लगातार "लाभार्थी" के रूप में सदस्य बना रहना।	03. 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय पूर्ववर्ती कम से कम 10 (दस) वर्षों तक लगातार "लाभार्थी" के रूप में सदस्य बना रहना।

योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त संशोधन अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे।  
कृपया संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0पी0 शुक्ल)  
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक- 5322-29 /भ0नि0बो0(486)-19

दिनांक 22/1/19

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
- 2— श्रमायुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड कानपुर।
- 3— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 5— श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या-02/2019/1928/36-2-2018-91/2011 दिनांक 18.01.2019 के कम में सूचनार्थ।
- 6— समस्त अपर/उप/सहायक व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
- 7— श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड एवं संशोधन करने हेतु प्रेषित।
- 8— गार्ड फाइल हेतु।

भवदीय,

(एस0पी0 शुक्ल)  
सचिव, बोर्ड।

# उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

## पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ “पेंशन योजना”

### योजना का उद्देश्य एवं औचित्य

योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 के अंतर्गत “लाभार्थी” के रूप में पंजीकृत ऐसे निर्माण श्रमिकों, जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो गई है और लगातार 05 वर्ष बोर्ड के सदस्य रहे हों तथा जिनका वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा हो, को एक निश्चित धनराशि “पेंशन” के रूप में उपलब्ध कराया जाना है। उल्लेखनीय है कि सामान्य रूप से निर्माण श्रमिक शारीरिक दक्षता से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और बढ़ती उम्र के उपरान्त उनकी शारीरिक क्षमता में कमी आने लगती है। परिणामस्वरूप उनकी अर्जन क्षमता भी कम हो जाती है। इस कारण उन्हें प्रत्येक दिन कार्य भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। अतः लाभार्थी की नियमित आय में हो रही क्षति की प्रतिपूर्ति करने तथा उसकी आजीविका के सुगम संचालन की दृष्टि से इस योजना की संकल्पना की गयी है।

### पात्रता

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम-1996 के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत होना।
- ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक का वार्षिक अंशदान अद्यतन जमा होना।
- 60 वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय कम से कम पाँच वर्ष तक लगातार “लाभार्थी” के रूप में सदस्य बना रहना।
- किसी अन्य बोर्ड या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी पेंशन योजना में लाभार्थी न हो।(राज्य कर्मचारी बीमा निगम अथवा कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत प्राप्त हो रही किसी पेंशन को छोड़कर)
- पेंशन प्राप्त करने अर्थात् 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते समय उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करना।

686

Ram

## आवेदन—प्रक्रिया

01. "लाभार्थी" पंजीकृत निर्माण श्रमिक 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के 03 माह पूर्व अपने स्थायी निवास के जनपद में अपना आवेदन/पेंशन प्रार्थना—पत्र स्थानीय श्रम कार्यालय/तहसील/ विकास खण्ड में प्रस्तुत कर सकेगा परन्तु यदि उसके उपरान्त भी आवेदन करता है तो विलम्ब से छूट देने का अधिकार स्वीकृतिकर्ता समिति को होगा।
02. यदि प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र जिला श्रम कार्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है तो वह कार्यालय प्राप्त सभी प्रार्थना—पत्रों को तिथिवार संकलित करेगा और प्रत्येक माह की 05 तारीख तक जिला श्रम कार्यालय को उपलब्ध कराएगा।
03. जिला श्रम कार्यालय समस्त प्रार्थना—पत्रों को संकलित करेगा और उन्हें स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
04. आवेदन के साथ पहचान की फोटोप्रति, बैंक पासबुक की फोटोप्रति, स्थायी निवास की प्रमाणित फोटोप्रति, इस आशय का शपथ—पत्र कि वह किसी अन्य योजना/सरकार से कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है। बैंक खाता एकल लाभार्थी के नाम होगा और धनराशि का आहरण चेकबुक से न होकर पर्ची से होगी।

## पेंशन स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया

01. जनपद स्तर पर पेंशन प्रार्थना—पत्र को स्वीकार करने के लिए एक समिति निम्नवत होगी:—
 

1. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी	—	अध्यक्ष
2. अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त	—	सदस्य सचिव
3. जिला समाज कल्याण अधिकारी	—	सदस्य
02. समिति प्रति 03 माह पर बैठक करेगी और उक्त के दौरान प्राप्त प्रार्थना—पत्रों पर निर्णय करेगी।
03. सदस्य सचिव का यह दायित्व है कि समिति द्वारा लिए गए निर्णय को क्रमबद्ध करते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की एक प्रति अन्य सभी अभिलेखों सहित बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

04. पेंशन भुगतान प्रत्येक माह किया जाएगा।
05. लाभार्थी श्रमिक का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक वर्ष माह अप्रैल में अपने जीवित होने का प्रमाण जिला श्रम कार्यालय को प्रस्तुत करें। यह जीवित प्रमाण-पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा दिया जा सकता है।
06. ऐसे सभी प्राप्त जीविता प्रमाण-पत्र सदस्य सचिव मई के प्रथम सप्ताह में बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करायेगें।
07. यदि लाभार्थी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो पारिवारिक पेन्शन के रूप में उसके पति/पत्नी को उक्त पेंशन की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है। शर्त यह होगी कि वह पात्रता की शर्त संख्या 04 पूर्ण करता/करती हो और उत्तर प्रदेश का मूल निवासी बना रहता हो,

परन्तु, यह भी कि पारिवारिक पेन्शन रु0 500.00 (पांच सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

08. यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है और जानकारी के अभाव में पेंशन की अगली किश्त का भुगतान हो जाता है तो उसके आधितों से उक्त की वसूली की जाएगी।
09. यदि पति—पत्नी दोनों पंजीकृत श्रमिक हैं और दोनों पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो एक की मृत्यु के बाद दूसरे को मात्र अपनी पेंशन का लाभ देय होगा।

#### पेंशन की धनराशि

प्रत्येक पात्र "लाभार्थी"/निर्माण—श्रमिक को प्रतिमाह की दर से रु0—500.00 (पांच सौ रुपये मात्र) की धनराशि उसके जीवित रहने तक उसे स्वयं और उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी/पति(जैसी भी स्थिति हो), देय होगी। अगले वर्ष की पेंशन में रु0—50.00 (पचास रुपये मात्र) प्रति दो वर्ष की दर से अधिकतम रु0—750.00 (सात सौ पचास रुपये) प्रतिमाह की दर से वृद्धि करते हुए भुगतान किया जाएगा।

पारिवारिक पेन्शन के रूप में पेन्शन प्राप्तकर्ता के पति/पत्नी को रुपये 500.00 (रुपये पांच सौ मात्र) की पेन्शन अनुमन्य होगी।

## पेंशन का भुगतान

01. पेंशन भुगतान की कार्यवाही बोर्ड के सचिवालय से की जाएगी। इस हेतु बोर्ड सचिवालय में एक "पेंशन-सेल" का गठन किया जाएगा, जो निम्नवत होगी:-

सहायक लेखाधिकारी	-	प्रभारी पेंशन सेल
सहायक लेखाकार	-	05 सहायक लेखाकार (योग्यता 05 वर्ष का अनुभव रखने वाला)
कम्प्यूटर आपरेटर	-	02 कम्प्यूटर आपरेटर (योग्यता 05 वर्ष का अनुभव रखने वाला)
अनुसेवक	-	02 अनुसेवक

02. सहायक लेखाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे सभी प्राप्त स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों को संकलित करें और सहायक/उप/अपर सचिव/अपर सचिव(वित्त) के माध्यम से सभी प्रार्थना-पत्रों को भुगतान की स्वीकृति हेतु सचिव के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
03. प्रभारी पेंशन सेल यह सुनिश्चित करेगे कि सभी स्वीकृत आवेदन का डाटाबेस कम्प्यूटर पर तैयार करें और समस्त पेंशन का भुगतान सीधे लाभार्थियों के खाते में इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर के माध्यम से किया जाय।
04. प्रभारी पेंशन सेल का यह भी दायित्व होगा कि पूर्व में निर्धारित किए गए माहों में समस्त पेंशन लाभार्थियों के खातों में अंतरित हो जाय। वह इसका एक प्रमाण-पत्र संबंधित बैंक से प्राप्त करेगे और अवलोकनार्थ सचिव को प्रस्तुत करेगे।

## कठिनाईयों का निवारण

योजना का संचालन एवं सुगमतापूर्वक पेंशन भुगतान हेतु किसी कठिनाई के निवारण हेतु सचिव, बोर्ड निर्णय लेने/पत्राचार करने के लिए सक्षम होगे।

## अधिसूचना

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ "पेन्शन योजना" की स्वीकृति तथा उ0प्र0शासन द्वारा उनके आदेश संख्या-681 / छत्तीस-2-14-91 / 2011 दिनांक 02 जुलाई, 2014 के कम में एतद्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ पेन्शन योजना अधिसूचित की जाती है। यह अधिसूचना अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित / लागू की जाती है।

*Ch.*  
(केंद्रीय पुरवार)  
सचिव, बोर्ड

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड  
पत्रांक :- १११०१० भ0निर्देश-14 तददिनांक ०२.७.२०१४

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर / उप / सहायक श्रमायुक्त व अपर / उप / सहायक कल्याण आयुक्त(पदेन) उपर्युक्त के साथ साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. श्रम अनुभाग-2 को उनकी अनापत्ति संख्या-681 / छत्तीस-2-14-91 / 2011 दिनांक 02 जुलाई, 2014 के कम में सूचनार्थ।

*Rishabh 3.7.14*  
(राजीव मिश्रा)  
सहायक सचिव, बोर्ड

**उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड**  
 लेखराज भाईट-2, हिंदीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उ0प्र0)  
 फ़ोन ९१-५२२-२३२४०००/०१, फैक्स ९१-५२२-२३४४००२, ईमेल ID: 18001806412  
 ई-मेल: upbochboardkanpur@gmail.com

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या-४७-२७ / भ०नि०बो०-१४, दिनांक- ०३.०७.२०१४ के माध्यम से "पेशन योजना" अधिसूचित की गई है।

तत्काल में, बोर्ड की ३२वीं बैठक दिनांक १८.११.२०१५ के एजेंडा दिनु संख्या-०७ के एक भाग "पेशन योजना के अन्तर्गत पात्रता की अवधि ०५ वर्ष से घटा कर ०३ वर्ष किये जाने" के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-४९४ / छत्तीस-२-२०१६-९१ / ११, दिनांक, ०४ अप्रैल, २०१६ के द्वारा दी गई अनापति के अनुक्रम ने निम्न संशोधन किये गये हैं-

प्रस्तावित संशोधन हेतु प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
१	२	३
प्रस्तर-३ पेशन की पात्रता	०३.६० वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय कम से कम ०५ (पांच) वर्ष लगातार "लाभार्थी" के रूप में सदर्श्य बना रहना।	०३. ६० वर्ष की आयु पूर्ण करना एवं तत्समय पूर्वदर्ती कम से कम ०३ (तीन) वर्ष तक लगातार "लाभार्थी" के रूप में सदर्श्य बना रहना।

कृपया तदानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

*Prakash*  
(बी०ज०सिंह)  
सचिव, बोर्ड।

पत्रांक सं० ५३-५९ / भ०नि०बो०-(५३६) / १६ दिनांक:- ०५/०४/२०१६

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
२. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
३. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ-साथ सम्यक प्रधार एवं प्रसार हेतु।
४. अपर श्रमायुक्त, उ०प्र०(कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों को ई-मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का काट करें।
५. अध्यक्ष, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
६. गार्ड फाइल हेतु।
७. अम अनुभाग-२ को उनकी अनापति संख्या- ४९४ / छत्तीस-२-२०१६-९१ / ११ दिनांक ०५/०४/२०१६ के क्रम में सूचनार्थ।

*U.P.B.C.*  
(आर०पी० गुप्ता)  
अपर सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक— ५३४२-४८ /भ०नि०ब०(486)-17

दिनांक १८/१२/१७

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— अध्यक्ष, उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
- 2— समस्त मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 3— समस्त जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 4— समस्त अपर/उप/सहायक व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ—साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
- 5— अपर श्रमायुक्त उ०प्र० कानपुर (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई—मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 6— गार्ड फाइल हेतु।

7— श्रम अनुभाग—२ को उनकी अनापत्ति संख्या—१६/२०१७/१९००/३६—२—२०१७—९१/२०११ दिनांक ०८.१२.२०१७ के क्रम में सूचनार्थ।

भवदीय,

  
(एस०पी० शुक्ल)  
सचिव, बोर्ड।



उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,  
लेखराज मार्केट-2, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उ0प्र0)  
टेलीफोन: 91-522-2324000/01, फैक्स: 91-522-2344002, टोल फ्री: 18001805412  
ई-मेल: upboctboardlko@gmail.com

## अधिसूचना

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या-47-27/भ0नि0बो-14 दिनांक 03.07.2014 के माध्यम से "पेंशन योजना" अधिसूचित की गई है।

तत्क्षम में बोर्ड की 37वीं बैठक दिनांक 25.09.2017 में लिए गये निर्णय के आधार पर शासन के पत्र संख्या-16/2017/1900/36-2-2017-91/2011 दिनांक 08.12.2017 द्वारा दी गई अनापत्ति के अनुक्रम में निम्नवत संशोधन किये गये हैं :—

प्रस्तर	वर्तमान व्यवस्था	संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
पेंशन स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया के प्रस्तर-04	पेंशन भुगतान प्रत्येक माह किया जाएगा।	पेंशन भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जायेगा।
आवेदन-प्रक्रिया के प्रस्तर-04	आवेदन के साथ पहचान की फोटोप्रति, बैंक पासबुक की फोटोप्रति, स्थायी निवास की प्रमाणित फोटोप्रति, इस आशय का शपथ-पत्र कि वह किसी अन्य योजना/ सरकार से कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है। बैंक खाता एकल लाभार्थी के नाम होगा और धनराशि का आहरण चेकबुक से न होकर पर्ची से होगी।	आवेदन के साथ पहचान की फोटोप्रति, स्थायी निवास की प्रमाणित फोटोप्रति तथा आधार कार्ड की फोटोप्रति, आधार लिंक्ड बैंक पास बुक IFSC CODE सहित की फोटोप्रति, इस आशय का शपथ-पत्र कि वह किसी अन्य योजना/ सरकार से कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है। बैंक खाता एकल लाभार्थी के नाम होगा।

योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे। कृपया संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0पी0 शुक्ल)  
सचिव, बोर्ड।